संख्याः– २१४ / XXIV(1) / 2007–22 / 2007

प्रेषक,

हरिशचन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद,
मयूर विहार, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) देहरादून दिनांकः 4 मार्च, 2008

विषयः– **मध्याहन भोजन योजना के अर्न्तगत किचन शेड निर्माण हेतु आवंटित अवशेष धनराशि एवं पिछड़े विकासखण्डो में मध्याहन भोजन योजना प्रारम्भ करने हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक– रा0प0का0 / 2199 / म0भो0यो0–बजट / 2007–08 दिनांक 24.01.2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि मध्याहन भोजन योजना के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा किचन शेड आदि के लिये गत वर्ष स्वीकृत धनराशि के पुनर्वैधीकरण को दृष्टिगत रखते हुये श्री राज्यपाल महोदय, चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में विद्यालयों में पका पकाया भोजन उपलब्ध कराये जाने विषयक योजनान्तर्गत कुल अवशेष धनराशि रू0 100000000.00 (दस करोड़) एंव पिछड़े विकासखण्डो के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्याहन भोजन योजना प्रारम्भ किये जाने हेतु रू0 40000000.00 (चार करोड़) की धनराशि आपके निवर्तन में रखते हुये व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान करते है। यह स्वीकृति पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्याः– 758 / XXIV(1) / 2007–22 / 2007 दिनांक 21.01.08 को स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त हैः–

(क) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष की नई मदों में कार्यान्वयन हेतु नही किया जायेगा।

(1) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त हो जायेगी।

(2) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अर्न्तगत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(3) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिये कदापि न छोड़ी जाय।

(4) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्याधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जाये।

(5) मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों को विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(6) व्यय सम्बन्धी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये। उसमे लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

(7) अवशेष धनराशि की जिलावार फॉट एवं अनुदान सम्बन्धी योजनाओं के गत वर्ष स्वीकृत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र इसी माह के अन्त तक शासन को प्रस्तुत कर दिये जाये, तभी अवशेष धनराशि की स्वीकृत निर्गत किया जाना सम्भव होगा।

(8) स्वीकृत धनराशि की जिलावार फॉट सम्बन्धित जिलों एवं शासन को तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202– सामान्य शिक्षा–01 प्रारम्भिक शिक्षा–101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय–01–केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र पुरोनिधानित योजनाऐं–0102–विद्यालयों में पका–पकाया भोजन

उपलब्ध कराया जाना–20–सहायक अनुदान / अंशदान / राजसहायता – आयोजनागत की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः–951 (P)/वित्त व्यय नियत्रंक अनुभाग–3/2008, दिनांक 3.3.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(हरिशचन्द्र जोशी)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), उत्तराखण्ड (राज्य परियोजना निदेशक के माध्यम से)।
4. वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 भूपिन्दर कौर औलख)
अपर सचिव।